

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां सहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 11/2024

वाद पत्र अं० धारा 88,53 आर.टी.ए.

लेखराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज. -वादी

बनाम्

1. निकी पत्नी गणपत जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज
2. आसी पत्नी ई शर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा संगरिया नई धान मंडी
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

दिनांक-05/08/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री राजे श बुडानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

वादी लेखराम के कब्जा का इत की भूमि -

चक न 12 एस.बी.एन खाता स 125/5

प.न	मु.न	कि.न
180/201	52	24/0.190है, 25/0.190है0
181/201	51	20/0.253है, 21/0.190है
		कुल-0.823है बरानी

अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2852 दिनांक 26.07.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी का इतकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......निल......मुब्लिक......निल......बाबत......निल......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।  
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.8.2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया